तालिका

1- बैठक दिनांक 24-5-88 की कार्यवाही पृष्ठ 5 से 35 तक

2- बैठक दिनांक 2-8-88 की कार्यवाही पृष्ठ 37 से 69 तक

3- बैठक दिनांक 8-12-88 की कार्यवाही पृष्ठ 71 से 117 तक

4- बैठक दिनांक 24-2-89 की कार्यवाही पृष्ठ 119 से 143 तक

5- बैठक दिनांक 7-4-89 की कार्यवाही पृष्ठ 144 से 157

6- बैठक दिनांक 15-5-89 की कार्यवाही पृष्ठ 159 से 185

7- बैठक दिनांक 19-7-89 की कार्यवाही पृष्ठ 186 से 219 तक

8- बैठक दिनांक 12-12-89 की कार्यवाही पृ० 221 से 249 तक

9- बैठक दिनांक 21-4-90 की कार्यवाही पृ० 251 से 275 तक

10- बैठक दि० 10-7-90 की कार्यवाही 277 से 289 तक

11 " " 30-10-90 कार्यवाही पृ 291 से 309 तक / 310 से 327 तक

12- 27-12-90 / 16-3-91 की कार्यवाही पृ० 328 से 343 तक

13- 18-9-91 की कार्यवाही पृ० 344 से 363 तक

14- बैठक दिनांक 15-1-92 की कार्यवाही पृ० 364 से 387 तक

15- " " 1-6-92 की कार्यवाही पृ० 388 से 417 तक

16- " " 29-9-92 की कार्यवाही पृष्ठ स-418 से 431 तक

17- " " 4-3-93 की कार्यवाही पृ. सं. 432 से 445 तक

18- " " 26-8-93 की कार्यवाही पृ. सं. 447 से 457 तक

19- " " 1-10-93 की कार्यवाही पृ. सं. 458 से 461 तक

20- " " 10-6-94 की कार्यवाही पृ० सं 462 से 475 "

21-

" " 25.6.94 की कार्यवाही 476 से 494 तक

21 " " 10.10.94 की कार्यवाही 496 से 505 तक

22 " " 21.12.94 " 506 से 517 तक

23 " 06.3.95 की कार्यवाही 518 से 529 तक

24 " " 31.5.95 " 530 से 537 तक

25 " " 29.11.95 " 538 से 561 तक

26 " 9.4.96 " 562 से 583 तक

27 " 17.6.96 " 584 से 597 तक

28 " 13.11.96 " 598 से 617 तक

29 "

प्रमाणित किया
मैं 632 पृष्ठ हैं
क्रमांक अंकित

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में 632 पृष्ठ है प्रत्येक पृष्ठ पर उसका क्रमांक अंकित किया गया है।

संयुक्त सचिव,
म० दे० वि० प्राच्य विद्या
देहरादून

(40) (5)

आयुक्त/अध्यक्ष

दिनांक 24.5.88 को हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत तैयार कर लिया गया है जो दांयी ओर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

सचिव
25/7/88

उपाध्यक्ष
25/7/88

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक24.5.88 को प्राधिकरण कार्यालय में हुयी बैठक की कार्यवाही ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

उपस्थिति :-

1- श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ------अध्यक्ष

2- श्री प्रताप सिंह, ------उपाध्यक्ष

3- श्री एम0आर0कुकरेती, अपर जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून । ------सदस्य

4- श्री विष्णुस्वरूप, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास विभाग, लखनऊ ---- -सदस्य

5- श्री एच0के0 शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवम् ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ । -----सदस्य

6- श्री सरेन्द्र सिंह नेगी, वन संरक्षक यमुना वृत्ति, देहरादून । -----प्रतिनिधि सदस्य

7-श्री डब्ल्यू रहमान, अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून । ----प्रतिनिधि सदस्य

8- श्री एन0बी0सिंह, सामान्य प्रबन्धक, जि0उ0के0, देहरादून । ----प्रतिनिधि सदस्य

9- श्री पी0के0पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून । --- प्रतिनिधि सदस्य

10-श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक देहरादून । --- सदस्य

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

-: विशेष आमंत्रित :-

1- श्री एस0सी0दूबे, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

2- श्री बृज0बी0रतन, सहयुक्त नगर नियोजक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून ।

3- श्री के0के0शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

:-अन्य उपस्थिति:-

1- श्री यू0डी0चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

2- श्री डी0एस0मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्रा0, दे0दून ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

(8) (9)

दिनांक 24.5.88 की मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक की ~~कार्यवृत्त।~~ कार्यवाही

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

पिछली बैठकों के निर्णयों के अनुपालन से सम्बन्धित आख्या पढ़ी गई व निम्नांकित निर्देश दिए गए ।

॥1॥ ॥अ॥ रिस्पना नदी व बिन्दाल नदी के किनारे स्थित गांव सभा की रिक्त भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो भूमि रिक्त पड़ी है उसको आवासीय योजना हेतु गांवसभा से प्राप्त करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता व नगर नियोजक इस भूमि का स्थल निरीक्षण कर यह देख लें कि क्या यह आवासीय योजना हेतु उपयुक्त है। संयुक्त सचिव उनको यह भूमि दिखायेंगे ।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, नगर नियोजक संयुक्त सचिव॥

॥ब॥ संयुक्त सचिव की सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि गांव सभाओं की काफी भूमि पर लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर लिए हैं। इन कब्जों को हटाने के लिए जिलाधिकारी से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा जाय व शेष रिक्त भूमि पर कब्जा न होने दिया जाय। संयुक्त सचिव की रिपोर्ट की एक प्रति उनको भेज दी जाय ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव॥

॥2॥ गांव सभाओं की भूमि पर महायोजना के विपरीत हो रहे अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय जिसमें यह दिखाया जाय कि किस गांव में कितने मामलों में कार्यवाही की गई/ की जा रही है व कितने मामलों में निर्णय हुआ ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी॥

॥3॥ ग्रामीण आवादी के चारों ओर लाल डोरा खींचने० की कार्यवाही श्री आर०पी०सिंह नहीं कर पाए। प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से कतिपय गांवों को निकालने का मामला अगल से विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने पर ही लाल डोरा खींचने की कार्यवाही

(10) (11)

करना उचित होगा। तब तक तहसीलदार के प्रमाण पत्र व आवश्यकता अनुसार स्थल निरीक्षणों से प्रकट हुई स्थिति के अनुसार मानचित्रों का निस्तारण किया जाय ।

॥कार्यवाही प्राधिकरण के सभी अधिकारी॥

॥4॥ अपर जिलाधिकारी द्वारा उन गांवों की सूची भेजी गई है जिन्हें प्राधिकरण की सीमा से निकालने का उनका प्रस्ताव है। इस सूची में कुछ गांव मसूरी नगरपालिका के अति निकट पाए गए। अतः समुचित निर्णय लेने के लिए इन गांवों को महायोजना मानचित्र में दिखाया जाय और प्रत्येक गांव की ~~देहरादून~~ मसूरी से दूरी दिखाते हुए पूर्ण सूचना अगली बैठक में रखी जाय ।

॥कार्यवाही सचिव/अपर जिलाधिकारी॥

॥5॥ देहरादून की महायोजना को अगली बैठक तक रेवेन्यू मानचित्र में प्रदर्शित करने का आश्वासन दिया गया ।

॥कार्यवाही सह्युक्त नगर नियोजक॥

॥6॥ राजपुर रोड पर खसरा नं0 69 व 71 में व्यावसायिक योजना की प्रोजैक्ट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। पुलिस से सहायता लेकर नगर नियोजक इस भूमि में स्थित पेडों को मार्क करते हुए उन्हें समायोजित करते हुए ले-आऊट तैयार करें ।

॥कार्यवाही नगर नियोजक॥

॥7॥ भूमि अध्याप्ति के मामलों में ॥विशेषतः ट्रान्सपोर्ट नगर॥ संयुक्त सचिव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/अपर जिलाधिकारी से मिल कर शीघ्र विज्ञप्तियां जारी करायें ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव॥

॥8॥ मसूरी ॥लण्डौर॥ में बस अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शीघ्र विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/शासन को भेजा जाय व इनका साईट प्लान सह्युक्त नगर नियोजक को भी भेजा जाय ताकि वे मसूरी के मास्टर प्लान में इसे अंकित कर सकें ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव/सह्युक्त नगर नियोजक॥

-4-

(9) पिक्चर पैलेस मसूरी के पास कार पार्किंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जाय ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

(10) नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण करा लिया गया है पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किन बस्तियों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं व क्या क्या सुविधाएं (प्रत्येक की लागत सहित) उपलब्ध कराई जानी है। सर्वेक्षण के आधार पर यह सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए अगली बैठक में सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाय ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

(11) जसरल महादेव सिंह रोड़ को चौड़ा करने के लिए इस्टीमेंट के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग/नगर विभाग/पर्वतीय विकास विभाग को स्मरण पत्र भेजे जायं व अन्य सड़कों की चौड़ाई केलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित आगणनों के अनुसार धनराशि की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे जायं ।

(कार्यवाही सचिव)

(12) देहरादून नगर के ट्रैफिक प्लान बनाने के सम्बन्ध में देहली स्कूल आफ प्लानिंग व आर्कीटेक्चर के प्रोफेसर रंगानाथन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व उपाध्यक्ष/नगर नियोजक की इस संस्था के निदेशक के साथ हुई बातचीत के आधार पर यह उचित समझा गया कि प्रो० रंगनाथन के पत्र की प्रति मुख्य नगर व ग्राम्य नियोजक को भेजते हुए उनसे यह अनुरोध किया जाय कि वे लखनऊ व गाजियाबाद में इस कार्य को किए जाने के अनुभव के आधार पर यहराय दे कि यह योजना बनाना कहां तक व्यवहारिक/लाभप्रद होगी। वे यह भी देखेंगे कि देहरादून जैसे छोटे शहर को देखते हुए स्कोप आफ स्टडी में क्या कमी की जाय व फीस क्या होनी चाहिए। प्रो० रंगानाथन द्वारा मांगी जा रही फीस बहुत अधिक पाई गई। इसके अलावा स्टडी के समय में भी कमी

(15)

करनी होगी तथा शार्ट टर्म प्लान चार माह में दिया जाना आवश्यक होगा। प्रो० रंगानाथन के प्रस्ताव की एक प्रति बैठक में ही वरिष्ठ नगर नियोजक को दी गई। यह भी देखा जाय कि इस प्लान में को तैयार करने की लागत को वहन करने के लिए क्या भारत सरकार भी सहायता दे सकती है।

।कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक।

प्रो० रंगनाथन ने उनके द्वारा प्रस्तावित फी का ब्रेक अप मांगा जाय व आपरेशन रिसर्च इंन्स्टीट्यूट बड़ौदा से भी पूछताछ की जाय ।

।कार्यवाही नगर नियोजक।

।13। अजबपुर कलां में प्राधिकरण की आवासीय योजना के सम्बन्ध में रिवर बैड में फ्लैश फ्लड/बाढ़ के स्थानों के चयन के लिए सिंचाई विभाग से मानचित्र पर ऐसे स्थानों को अंकित कराते हुए समिति अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

।कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक। ।

।14। लण्डौर ।मसूरी। में प्राधिकरण द्वारा विकसित बस स्टैण्ड को उपयोग में लाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि० ने बताया कि इस सड़क पर भारी वाहन चल सकते हैं और केवल जो स्पाट खतरनाक है वहां पर बोर्ड लगाया है । सा०नि०वि० प्राधिकरण व सड़क परिवहन निगम के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण कर वे स्थान सा०नि०वि० को बता दें जहां सड़क की खास तौर पर शीघ्र मरम्मत की जानी है।

।कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता।

विषय क्रमांक :- 1 :-

गत बैठक की पुष्टि:-

पिछली बैठक दिनांक 20.2.88 का कार्यवृत्त पढ़ा गया व सर्व-सम्मत्ति से इसकी पुष्टि की गई तथा अध्यक्ष महोदय ने पुष्टि के हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में किए।

(17)

विषय क्रमांक :-2:-

31.3.88 तक भवन मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति।

31.3.88 तक मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति का अवलोकन किया गया। इस बात पर संतोष प्रकट किया गया कि लम्बित मानचित्रों की संख्या कम हुई है। अगली बैठक में विवरण प्रस्तुत करते समय सबसे पुराने लम्बित 10 मानचित्रों के निस्तारण के विलम्ब के कारणों व निस्तारण के सम्बन्ध में की गई/की जा रही कार्यवाही का विवरण भी रखा जाय।

अनधिकृत निर्माणों के वादों के निस्तारण में तेजी लाई जाय।

॥कार्यवाही सचिव/कार्यालय अधीक्षक॥

विकास शुल्क से प्राप्त आय के अन्तर्गत पूर्ण किए गए व निर्माणाधीन कार्यों की सूची का अवलोकन किया गया। सूची में त्रुटियां पाई गई और यह भी पाया गया कि अनुमानित लागत से बहुत कम धनराशि में कई कार्य पूर्ण कराए गए। अनुमानित लागत के बारे में यह बताया गया कि यह स्वीकृत निविदा की धनराशि है। ऐसी स्थिति में कार्यऔर भी कम व्यय पर पूरा हो जाने से यह प्रकट होता है कि कार्य का आगणन सही नहीं बना था। अधिशासी अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थल पर कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण कुछ मदों में कार्य नहीं कराया गया, जिससे कम व्यय पर कार्य पूरे हुए। यह निदेश दिए गए कि आगे से इस्टीमेंट के अनुसार लागत व स्वीकृत निविदा की धनराशि दोनों ही दिखाई जाय व कार्य की विभिन्न मदें भी दिखाई जाय। यह भी निदेश दिए गए कि जब अनुमानित लागत से कम में कार्य पूरा हो जाता है या इस्टीमेट में दी गई कुछ मदों में कार्य नहीं कराया जाता है तो संशोधित लागत भी उसी समय निकाल ली जाय और यह लागत भी सूची में दिखाई जाय। प्रस्तावित कार्यों की प्रस्तुत की गई सूचि का अनुमोदन किया गया।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता॥

विषय क्रमांक :-3 :-

शासन द्वारा पूर्वानुमोदित उप विधियों को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत लागू करने हेतु प्रस्ताव।

॥1॥ नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश दिनांक 18.3.88 के अन्तर्गत यह निर्देश प्राप्त हुए है कि उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा-56 की उपधारा-2 के खण्ड "च" के अधीन शासन द्वारा अनुमोदित उप-विधियों को विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव रखकर तथा उसे पारित करके शासन के अनुमोदन एवं गजट में प्रकाशित कराये जाने हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। आदर्श उपविधियों की एक प्रतिलिपि एजेण्डा के साथ प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की गयी थी। इन पर विचार किया गया ।

॥1॥ सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि चूँकि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थिति प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों से भिन्न है क्योंकि इस प्राधिकरण के अन्तर्गत देहरादून नगर का क्षेत्र जो मैदानी व पर्वतीय भाग है तथा मसूरी नगर क्षेत्र जो पूर्णत: पर्वतीय भाग है, शामिल है और दोनों नगर क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति व अन्य समस्यायें अलग-अलग है और चूँकि इस प्राधिकरण के वर्तमान बायलौज में जो कि शासन द्वारा अनुमोदत है में इन दो नगर क्षेत्रों की अलग-अलग परिभाषा देते हुए उन्हें डी-1, व डी-2 नाम देते हुए तदनुसार इन दोनों क्षेत्रों के लिए बायलौज में पृथक-पृथक प्राविधान किए गए हैऔर चूँकि मसूरी नगर क्षेत्र के लिए सैट बैक्स, एफ0ए0आर0, ऊँचाई सड़क से दूरी आदि के सम्बन्ध मेंभिन्न प्राविधान किए गए हैं व मसूरी की विशिष्ट भागोलिक स्थिति, पर्यावरण व नैसर्गिक सौन्दर्य को ध्यान में रखते हुए अन्य प्राविधान भी किया गया है अत: शासन द्वारा प्रेषित आदर्श उपविधियों को अंगी-कृत करना उचित नहीं होगा ।

॥2॥ अत: सर्व सम्मति से यह निर्णय हुआ कि प्राधिकरण की वर्तमान उपविधियों के अनुसार ही कार्य चलते रहने दिया जाय परन्तु शासन द्वारा प्रेषित आदर्श उपविधियों में जो प्राविधान इस प्राधिकरण के लिए हितकर है उनको अपनाते हुए प्राधिकरण की पूर्व उपविधियों में तदनुसार यथा स्थान संशोधन किया जाय। तदनुसार प्राधिकरण की पूर्व उपविधियों व शासन से प्राप्त आदेश उपविधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर प्राधिकरण की उपविधियों में संशोधन के बारे में सुझाव देने के लिए सचिव विकास प्राधिकरण व सहयुक्त नगर नियोजक की एक समिति बनाई गई जो अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच

(21)

शासन को प्राधिकरण के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाय ।

॥कार्यवाही सचिव/सहयुक्त नगर नियोजक॥

विषय क्रमांक :-4:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.2.88 के अनुसार गठित विकास शुल्क पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट ।

समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय हुआ कि अभी वर्तमान दरें ही चलने दी जाय व विभिन्न अविकसित/अर्ध विकसित क्षेत्रों का चयन कर वहां आवश्यक विकास कार्यों की वास्तविक लागत निकालते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । क्षेत्रों का चयन नगर नियोजक द्वारा किया जायेगा और तदुपरान्त अधिशाषी अभियन्ता वास्तविक लागत निकालने का कार्य किया जायेगा ।

॥कार्यवाही सचिव व अधिशासी अभियन्ता॥

विषय क्रमांक :-5:-

नगर पालिका, देहरादून द्वारा कचहरी रोड व पटेल रोड के बीच स्थित भूभाग ॥वर्तमान गोदाम॥ में प्रस्तावित व्यवसायिक परियोजना के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की पिछली बैठक में गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने स्थल का निरीक्षण किया और यहपाया कि स्थल के दोनों ओर आवासीय भवन है, प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार कवरेज व एफ०ए०आर० बहुत अधिक है जबकि पार्किंग स्पेस कम है और स्थल के बीच में एक बड़े पीपल का पेड़ है तथा किनारे पर भी कुछ आम व अन्य प्रजाति के पेड़ है। पार्किंग स्पेस को बढाने व इन पेडो को बचाने से दुकानों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि यहयोजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रह जाती है। अतः सर्व-सम्मत्ति से निर्णय हुआ कि यहां एककम्यूनिटी हाल के निर्माण की प्रोजैक्ट रिपोर्ट / मानचित्र बनाया जाय जिसमें ऊपर की मंजिल में कार्यलयों के लिए व्यवस्था की जाय ।

॥कार्यवाही नगरपालिका, देहरादून ॥

विषय क्रमांक :-6:-

हडको द्वारा स्वीकृत ऋण परवायदा प्रभार शुल्क की मुक्ति के सम्बन्ध में ।

वर्ष 1987-88 में हडको नई दिल्ली से निम्न योजनाओंके लिए ऋण स्वीकृत किया गया परन्तु राज्य गारण्टी प्राप्त करने में विलम्ब हुआ और तदनुसार ऋण की धनराशि अवमुक्त कराने में देरी हुई जिस कारण हडको ने पूर्व वायदा प्रभार चार्जेज प्राधिकरण के नाम डाले हैं ।

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि प्राधिकरण के लिए इस प्रकार का ऋण लेने का प्रथम अवसर होने वे पूर्व अनुभव न होने के कारण हडको से अनुरोध किया जाय कि वे प्राधिकरण को वायदा चार्जेज प्रभार ॥कमिटमेंट चार्जेज॥ से छूट प्रदान करें ।

विषय क्रमांक :-7 :-

देहरादून नगर में ड्रेनेज सिस्टम के सर्वेक्षण व पुर्नगठन के डिवीजन की स्थापना व सीवेज लाईन डालने के कार्य का नगरपालिका में समन्वय करना ।

प्राधिकरण की दिनांक 5.12.87 की बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्तर सं0 10 में निम्नलिखित निर्णय हुआ था ।

"देहरादून नगर में ड्रेनेज सिस्टम के सर्वेक्षण व पुर्नगठन के लिए 2-50 करोड़ रूपये की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल निगम के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत की। यह निर्णय हुआ कि निम्नलिखित सदस्यों की समिति इसे परीक्षण कर अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत करें।

1- अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून ॥ श्री रहमान॥

2- महाप्रबन्धक, गढवाल जल संस्थान ।

3- नगर नियोजक ।

4- सचिव, विकास प्राधिकरण ॥जो इस समिति के संयोजक होगें॥

5- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून ।

तदनुसार जल निगम द्वारा प्रस्तुत 2.50 करोड़ रूपये की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार हेतु गठित कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने का दायित्व श्री एच0के0शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, उ0प्र0 को सौंपा गया था। सम्बन्धित समिति ने अपनी बैठक दिनांक 22.2.88 को की। समिति

24.5.88

की रिपोर्ट प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि जल निगम को योजना तैयार करने के लिए 8.4. लाख रूपये का शुल्क दिया जा सके व प्राधिकरण द्वारा यह योजना स्वयं क्रियान्वित की जा सके। अतः शासन से अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाय ।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक:-8:-

कांवली में बस स्टैण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल को परिवर्तन करके आवासीय में नियत करना ।

सर्व-सम्मति से विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ कि कांवली से बस स्टैण्ड को हटाकर चकराता रोड पर चोरखाला या महारानी बाग में शिफ्ट करने के लिए दोनों स्थनों का मानचित्र बना कर भूमि का पूरा विवरण देते हुए अगली बैठक में रखा जाय तथा भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा जाय ।

॥कार्यवाही नगर नियोजक॥

विषय क्रमांक :-9:-

विकास प्राधिकरणों में आर्कीटेक्ट टाउन प्लानिंग इंजीनियर्स, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर आदि को लाईसेन्स प्रदान करने हेतु आदेश उप-विधि :-

मुख्य नगर एवम् ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र सं0 183/वनि0121/म0दे0वि0प्रा0/88 दिनांक 19.2.88 द्वारा शासनादेश संख्या 8338/11-5-25 डी0ए0/81 दिनांक 16.10.85 द्वारा प्राधिकरणों में अंगीकृत करने हेतु लाईसेन्स सम्बन्धी अनुमोदित आदेश उप-विधियां भेजी गयी है तथा यह भी सूचित किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई उप-विधियों को इसी शर्त के साथ अनुमोदित किया गया था कि शासन द्वारा प्रसारित उप-विधियों से भिन्नता होने की स्थिति में उन्हें तदनुसार संशोधित करना होगा ।

25.5.88

...-सम्मत्ति से शासन द्वारा भेजी गयी उपविधियों को अनुमोदित किया गया। तदनुसार शासन से इन्हें प्रकाशित कराने का प्रस्ताव ...जा जाय ।

यह भी निर्णय हुआ कि इन्जीनियर व टाउन प्लानर दोनों ...ो ही लायसेन्स मिलना चाहिए और इस दृष्टि से उ०प्र० नगर नियोजन ...व विकास अधिनियम की धारा 57 डी में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय ।

(कार्यवाही नगर नियोजक)

विषय क्रमांक :- 10:-

(क) परेड ग्राउण्ड तथा रेंजर्स कालेज के मध्य दुकानों का निर्माण:-

गत बैठक में अजबपुर कलां में प्रस्तावित किए जा रहे स्टेडियम के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गयी थी जिसमें नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपस्थित थे। समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त सर्व सम्मत्ति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1- अजबपुर में स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को समाप्त किया जाय। यहां भूमि भी सीलिंग से विवादितहै और कोई समुचित सम्पर्क मार्ग भी अभी नहीं है।

2- परेड ग्राउण्ड के वर्तमान पैवेलियन का ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए मानचित्र के अनुसार स्टेडियम के रूप में विकास किया जाय ।

3- पैवेलियन के पास बैठे हुए अनधिकृत दूकानदारों के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित तिब्बती मार्केट योजना के अनुसार छोटी दूकानों का एक किनारे पर निर्माण किया जाय ।

4- पैवेलियन के पास स्थित वर्तमान बस स्टैण्ड को परेड ग्राउण्ड में स्कूल भवन रेंजर्स कालेज की सड़क के बीच के किनारे वाले व वि०वि० विकास प्राधिकरण के पुराने कार्यालय भवन के पीछे के भाग में शिफ्ट कर दिया जाय।

5- जिलाधिकारीद्वारा स्टेडियम के निर्माण हेतु शासन से प्राप्त

व सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया जाय। वे इस कार्य को डिपा-
र्टमेंट वर्क के रूप में नहीं करेंगे।

विषय क्रमांक :- 11:-

मसूरी के ड्राफ्टमास्टर प्लान के तैयार करने की प्रगति :-

वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार है और उसे अगली बैठक में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व मसूरी की समस्याओं के बारे में कुछ जन-प्रतिनिधियों से सुझाव भी प्राप्त कर लिए जाय। अधिकांश सदस्यों की राय थी कि चूँकि ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर जनता की आपत्तियां प्राप्त की ही जायेगी अतः इससे पूर्व जन प्रतिनिधियोंकी राय प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक :-12:-

प्राधिकरण की वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 की बैलेन्स सीट के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा बैलेन्ससीट का अवलोकन व अनुमोदन किया गया। यह निर्देश दिए गए कि चार्टेड एकाउण्टेण्ट द्वारा दिए गए सुझावों व General Remarks का भी पालन किया जाय ।

(कार्यवाही लेखाकार)

विषय क्रमांक :-13:-

अजबपुरकलां की कम्पोजिट आवासीय योजना के लिए हडको से ऋण प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4.12.86 के प्रस्ताव सं0 -74 द्वारा उपरोक्त योजना के लिए ऋण प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया था। इस योजना की योजना राशि अंकन रू0 177.46 लाख के विरूद्ध 152.17 लाख ऋण की स्वीकृति हडको से प्राप्त हो गई । योजना में विभिन्न मदों पर व्यय व स्वीकृत ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	विवरण	सं0	योजना राशि	ऋण राशि ।
1-	दुर्बल आय वर्ग	884	131.66	118.50
2-	अल्प आय वर्ग	104	30.75	26.14
3-	मध्यम आय वर्ग (प्लाट)	66	15.05	7.53
		33		

सर्वसम्मत्ति से उपरोक्त को अनुमोदित करते हुए हडको से स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए अनुबन्ध करने तथा कामनशील प्रयोग करने हेतु सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष/सचिव को अधिकृत किया गया । इस ऋण के लिए शासन से गांरण्टी प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया ।

विषय क्रमांक :- 14 :-

डालनवाला क्षेत्र का जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

एजेण्डा नोट पर विचारोरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि पूरे डालनवाला क्षेत्र का जोनल प्लान प्राधिकरण के नगर नियोजक तैयार कर अगली बैठक में रखें व मास्टर प्लान में पूरे क्षेत्र को सड़कों या भौगोलिक सीमाओं के आधार पर जोन्स में विभाजित कर तद्नुसार इन जोन्स के प्लान प्राथमिकतानुसार तैयार करने का प्रस्ताव भी अगली बैठक में रखें।

(कार्यवाही नगर नियोजक)

विषय क्रमांक :- 15 :-

प्राधिकरण की डालनवाला आवासीय योजना के लिए पेय जल-आपूर्ति के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की डालनवाला आवासीय योजना के लिए पेय जल आपूर्ति की योजना उ0प्र0 जल निगम से तैयार कराई गई थी। जल निगम से 23.44 लाख रूपये की योजना प्राप्त हुई है।

इस योजना पर निम्न प्रकार व्यय आ रहा है :-

1- कार्य की कुल लागत --- 18,74,650/-

2- वर्कचार्ज स्थापना --- 37,490/-

3- कन्टेनजेंसी --- 57,360/-

4- विभागीय फी: ---

[illegible]

योजना तैयार करने के लिए 4%	---	78,780/-
सुपरवीजन चार्जेज 15 %	---	295,430/-
	कुल योग:	23,44 लाख रूपये

उपरोक्तानुसार 4.117 लाख रू0 केवल विभागीय फी के रूप में न निगम को देय हैं। डालनवाला योजना में लगभग 16.0 लाख पेय ल योजना के लिए प्रस्तावित हैं।

सर्व-सम्मत्ति से निर्णय हुआ कि प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र जल आपूर्ति योजना क्रियान्वित करने का दायित्व लेना ठीक नहीं होगा और यहकाम ल निगम से ही कराया जाय उनको शेष विभागीय फीस किश्तों में दी जाय। किश्तें अधिशासी अभियन्ता व जल निगम के अधीक्षण अभियंता आपस में तय कर लें। चूँकि इस योजना से नगर की अन्य जनसंख्या भी लाभान्वित होगी अत: यह धनराशि शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाय। जल निगम भी अपनी फीस में कुछ कमी करे ताकि इसका बोझ निर्बल वर्ग के पर न पड़े।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

अनुपूरक विषय क्रमांक :- 1 :-

मसूरी में सेवाय होटल के पास बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु 0.17 एकड़ भूमि का अर्जन।

जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र सं0 मीमो/आठ-वि0भू0अ0अ0/देहरादून/87-88 दिनांक 30.4.88 द्वारा मसूरी में सेवाय होटल के आस पास बस स्टैण्ड हेतु 0.17 एकड़ भूमि अर्जन का प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी कराने के अनुरोध से शासन को भेजा गया था। सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ के रेडियो ग्राम संख्या 3008/11-5-88 एल0ए0/88 दिनांक 12.5.88 द्वारा निर्देशित किया गया कि विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्ताव भेजा जाय।

मसूरी की यातायातकी समस्या के समाधान हेतु सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि सेवाय होटल के पास की 0.17 एकड़ भूमि बस स्टैण्ड के प्रयोजनार्थ अधिग्रहण की जाय।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-2:-

मैं० होटल गीतिका प्रा०लि० द्वारा होटल निर्माण के सम्बन्ध में आख्या ।

सुभाष रोड़ से 150 फीट पीछे यह होटल बनाने का प्रस्ताव है। आवेदित स्थल के उत्तर में सिचाई विभाग का कार्यालय ॥दून कैनाल॥ दक्षिण में होटल डूंगा हाउस, पूर्व दिशा में दून क्लब तथा पश्चिम में सम्पत्ति अन्य एवं पहुँच मार्ग है। इस स्थल के पास होटल व्हाईट हाउस है तथा इसी स्थल के साथ एक अन्य होटल मैं० स्नोवा के नाम से प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दी गयी है। महायोजना में यह स्थल आर-2 यूज जौन दर्शाया गया है जो कि आवासीय है।

विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से इस स्थल पर होटल का निर्माण उचित व आवश्यक नहीं समझा गया व तद्नुसार भू-उपयोग परिवर्तन भी उचित नहीं समझा गया ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

॥यू०डी०चौबे,॥	॥प्रताप सिंह॥	॥एस०एस०पांगती॥
सचिव,	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०,	म०दे०वि०प्रा०,	म०दे०वि०प्रा०,
देहरादून ।	देहरादून ।	देहरादून ।

पुष्टि किया गया

2.8.88